

11-3-25

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपरि-  
प्रकरण से वकील वादी साक्ष्य हेतु गवाह पेश  
करने का अवसर चाहते हैं। पूर्व में इन्हें दिनांक  
25-1-2023 से अवसर दिये जा रहे हैं किन्तु वकील  
वादी द्वारा आज दिनांक तक प्रकरण साक्ष्य वादी  
पेश नहीं कि गई। अतः प्रकरण में साक्ष्य वादी  
बन्द कि जाती है। प्रकरण में वादी को साक्ष्य बन्द  
कि जा चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में प्रस्तुत  
दस्तावेज प्रदर्श नहीं हो सकते जब दस्तावेज  
प्रदर्श नहीं होंगे तो दावा सिद्ध नहीं हो सकता है।  
अतः दावा साक्ष्य सबूत के अभाव में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली पेश करने के लिए नम्बर  
से काम हो।

५५